

302

ADMN. 132

**JODHPUR VIDHYUT VITRAN NIGAM LIMITED**

No.JdVVNL/MD/Secy.(Admn.)/Ju/S.Estt./F. /OO. 501 /D <sup>1952</sup> Dated 26/3/12

**ORDER**


**Sub:- Ratification of three Orders issued by the company subject to ratification by the Board of Directors.**

<><><><>

The Board of Directors of Jodhpur Discom in its 186<sup>th</sup> meeting held on 24.01.2012 has decided "RESOLVED THAT following three orders issued by the Company in pursuance of the decision taken in the Co-ordination Committee Meeting be and same is hereby stand ratified.


Sr. No.	Subject	Order No. & date	Reference
1	Procedure for selection to the post of Junior Engineer -I through Direct Recruitment from open market	OO. 370/D 1519 dated 18.01.2012	150 <sup>th</sup> Co-ordination Committee Meeting dated 15-09-2011.
2	Amendment in Employees Service Regulations, 1964	OO. 371/L 1520 dated 18.01.2012	151 <sup>st</sup> Co-ordination Committee Meeting dated 14.11.2011.
3	Procedure for selection to the post of Junior Engineer-I through Direct Recruitment from open market	OO. 373/D 1522 dated 18.01.2012	153 <sup>rd</sup> Co-ordination Committee Meeting dated 15.12.2011.

By order

  
Secretary (Admn.)  
JdVVNL, Jodhpur.

Copy to the following for information and necessary action: -

- The Chief Engineer ( ), JdVVNL,
- The Dy.\Zonal Chief Engineer ( ), JdVVNL,
- The Chief Accounts Officer ( ), JdVVNL,
- The Superintending Engineer ( ), JdVVNL,
- The T.A. to Managing Director, JdVVNL, Jodhpur\ Jaipur.
- The Addl. Superintendent of Police (Vig.), JdVVNL, Jodhpur.
- The Company Secretary, JdVVNL, Jodhpur.
- The Dy. Director Personnel (HQ\ JZ\ BZ), JdVVNL, Jodhpur\ Bikaner.
- The Sr. Accounts Officer ( ), JdVVNL,
- The T.A.\P.A. to Director (Finance\Technical), JdVVNL, Jodhpur.
- The Executive Engineer ( ), JdVVNL,
- The Personnel Officer ( ), JdVVNL,
- The Accounts Officer ( ), JdVVNL,
- The Assistant Engineer ( ), JdVVNL,
- The Public Relations Officer ( ), JdVVNL,

  
Dy. Director Personnel (Estt.)  
JdVVNL, Jodhpur.

राजस्थान सरकार  
कार्मिक (क-2) विभाग

1. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव
2. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर सहित)

कमांक प. 7(2)कार्मिक/क-2/96 पार्ट II

जयपुर, दिनांक: 7 सितम्बर, 2007

परिपत्रादेश

विषय:- राज्य सरकार के अधीन की सेवाओं/पदों पर महिलाओं को आरक्षण के संबंध में।

राज्य सरकार के अधीन समस्त सेवाओं के सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर महिलाओं को 30 प्रतिशत प्रवर्गानुसार आरक्षण देने का प्रावधान किया हुआ है, जिसके अनुसार यदि संबंधित प्रवर्ग में महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती हैं तो वह रिक्तियां आगे के वर्षों में अग्रेषित नहीं कर उस प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थी से भरी जायेगी। महिलाओं हेतु यह आरक्षण दण्डवत (Horizontal) है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा राजेश कुमार बनाम राजस्थान लोक सेवा आयोग तथा हरिओम बनाम राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रकरण में दिनांक 18 जुलाई, 2007 को निर्णय पारित किया। मा0 उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में विधि विभाग से परामर्श कर परीक्षण किया गया। इस संबंध में इस विभाग के परिपत्र दिनांक 31.5.2000 के अतिक्रमण में यह स्पष्ट किया जाता है कि महिलाओं को दिया जाने वाला आरक्षण दण्डवत है। दण्डवत तथा लम्बवत (Vertical) में आरक्षणों की प्रकृति तथा गणना के तरीके भिन्न भिन्न हैं। दण्डवत आरक्षण की स्थिति में उस वर्ग के लिये निर्धारित समस्त सीटों के लिये मैरिट के आधार पर सूची तैयार की जानी चाहिये, उसमें जितनी महिला अभ्यर्थी मैरिट के आधार पर चयनित हुई हों उन्हें महिलाओं के लिये आरक्षित सीटों के प्रति गिना जाना चाहिये। इस प्रकार मैरिट के आधार पर तैयार सूची में महिलाओं की संख्या यदि उनके लिये आरक्षित सीटों से कम हों तो जितनी संख्या कम है उतने ही अभ्यर्थी मैरिट के आधार पर तैयार सूची में से सबसे नीचे से कम किये जाकर उनके स्थान पर उस वर्ग की शेष महिला अभ्यर्थियों में से मैरिट के आधार पर चयनित की जानी चाहिये।

अतः समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों को व्यादिष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित किये जाने की व्यवस्था करें।

(लोकनाथ सोनी)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर।
6. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।

शासन उप सचिव